00–10 लाख फा.

APP
CrII

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर

मुकाम बांदीकुई

अक्षम कँवर बनाम राजस्थान सरकार

प्रा० पत्र अंतर्गत धारा 128 LRAct नं० ...... सन 2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/01/2026	
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। पैरोकार सरकार उप०। इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थीगण वकील एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रा० पत्र मूल पर बहस की गयी। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 128 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से टंकित करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 8/1/26 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	[signature] 8/01/2026 NTR बांदीकुई

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :-77/2025
प्रकरण दायर दिनांक:- 25.06.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक:-08.01.2026

उनवान

1. अछम कवर पत्नि जयसिंह
2. देवीसिंह पुत्र जयसिंह
3. हनुमानसिंह पुत्र जयसिंह

} जाति राजपूत निवासी नांगवास तह. बांदीकुई

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128रा० लै० रे० एक्ट,
वास्ते किये जाने पत्थरगढ़ी

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा० लै० रे० एक्ट, इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 35 पुराना 30 के खसरा नंबर 501 लगायत 512, 514 कुल किता 13 कुल रकबा 3.94 हैक्टेयर वाके ग्राम नांगवास तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 13.05.2025 को हो गया है। अब उपरोक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हुआ है ऐसी सूरत में पत्थरगढी के आदेश करवाना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि. उक्त वर्णित भूमि मुतदाविया का पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार उपस्थित। प्रकरण में बहस प्रार्थीगण वकील एवं पैरोकार सरकार सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम नांगवास खाता सं. नया 35 पुराना 30 कुल किता 13 कुल रकबा 3.94 हैक्टे. सीमाज्ञान मौका पर्चा ग्राम नांगवास दिनांकः 13.05.2025 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम नांगवास खाता सं. नया 35 पुराना 30 के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। सीमाज्ञान मौका पर्चा वाके ग्राम नांगवास दिनांकः 13.05.2025 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आरएक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, सीमाज्ञान पर्चा मौका वाके ग्राम

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

नांगवास दिनांकः 13.05.2025 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण की दर्ज राजस्व रिकॉर्ड भूमि काश्त खाता सं. नया 35 पुराना 30 खसरा नंबर 501 लगायत 512, 514 कुल किता 13 कुल रकबा 3.94 हैक्टे. वाके ग्राम नांगवास तहसील बांदीकुई की मुताबिक सीमाज्ञान मौका पर्चा वाके ग्राम नांगवास दिनांकः 13.05.2025 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)